No. 12/108/2001-2SII

From

The Chief Secretary to Government Haryana.

To

1. All the Financial Commissioners & Principal Secretaries and Commissioners & Secretaries to Government, Haryana.
2. All the Divisional Commissioners in the State.
3. All the IAS Officers in the Haryana State.

Dated Chandigarh, the 11th April, 2002.

Subject:- Grant of Casual Leave to the IAS Officers working in the State.

******

Sir,

I am directed to invite your attention to the subject mentioned above and to say that on reconsideration of the matter, the Government have decided to withdraw letter No.12/108/2001-2SII, dated 31.12.2001. Under rule 8.61 of CSR Vol.I, Part-I, (Appendix-17 of CSR Vol.-I, Part-II) the casual leave to the IAS officers working in the State of Haryana, shall be admissible as follows :-

i)	Officers with 10 years service or less	10 days Leave in a Calendar Year.
ii)	Officers with more than 10 years service but less than 20 years service.	15 days in a Calendar year.
iii)	Officers with over 20 years service.	20 days in a Calendar year.

Yours faithfully,

11/4/2002

Under Secretary, Administration,
for Chief Secretary to Government Haryana.

PART - IV

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 8th May, 2002

In Haryana Government, Legislative Department, Notification No. Leg. 4/2002, dated the 27th March, 2002, published in Haryana Government Gazette (Extraordinary), Legislative Supplement Part I, dated the 27th March, 2002, in the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination Act, 2002,—

(i) in the enacting formula, for "BE", read "Be";

(ii) in section 1, in sub-section (1), for "other", read "Other";

(iii) in section 2, in clause (i), for "Appendix-A", read "Appendix A";

(iv) in section 3, in sixth line, for "G.S.R./Const. Art. 309/2002", read "G.S.R. 9/Const./Art. 309/2001".

L. N. MITTAL,

Secretary to Government Haryana,
Legislative Department.

34251-L.R.-H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 2003

सं० सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 234 तथा 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा लोक सेवा आयोग और पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करने वाले और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2003 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करने वाले नियमों में, भाग क में, नियम 2 में,—

(i) द्वितीय पंक्ति में, "35" अंकों के स्थान पर, "40" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) प्रथम परन्तुक में, द्वितीय पंक्ति में, "40" अंकों के स्थान पर, "45" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

3. उक्त नियमों में, भाग ग में, नियम 7 में उप-नियम (2) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु लिखित परीक्षा मे प्राप्त किए गए अंकों के क्रम में मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के तीन गुणा संख्या से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया गया अन्तिम उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हुए तीन गुणा से अधिक उम्मीदवारों से अभिवृत हैं तब सभी अभिवृत उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, इस तथ्य के बावजूद कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या तीन गुणा से अधिक हो जाती है।

उदाहरण : मान लीजिये 10 रिक्तियां विज्ञापित की गई हों, यदि 8 उम्मीदवार यानि क्रम संख्या 24 से 31 तक अभिवृत हो जाते हैं तब क्रम संख्या 31 तक के उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे।"।

— 67 —

4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8. (1) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक अर्हक नहीं विचारा जाएगा जब तक वह मौखिक परीक्षा सहित सभी पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर लेता।

(2) अर्हक उम्मीदवारों का योग्यता क्रम हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित पेपर तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के अनुसार कड़ाई से निश्चित किया जाएगा :

परन्तु दो या उससे अधिक उम्मीदवारों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में आयु में बड़े उम्मीदवार को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।"।

5. उक्त नियमों में, भाग घ में,—

(i) नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"1. भाग ग के नियम 10 तथा 11 के अधीन सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल) के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नाम विज्ञापित रिक्तियों से अधिक 30 प्रतिशत की सीमा तक चयन के क्रम में उच्च न्यायालय रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे, ताकि किसी कारण से न भरे गए शेष विज्ञापित पदों के लिए किसी आनुषंगिकता को पूरा किया जा सके।";

(ii) नियम 8 का लोप कर लिया जाएगा।

ए० एन० माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 17th April, 2003

No. G.S.R. 6/Const./Arts. 234 and 309/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, after consultation with the Haryana Public Service Commission and the High Court of Punjab and Haryana, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the rules providing for the appointment of persons, as Subordinate Judges in the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed thereto, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Haryana Amendment Rules, 2003.

2. In the rules providing for the appointment of persons, as Subordinate Judges in the Haryana Civil Service (Judicial Branch) (hereinafter called the said rules), in Part A, in rule 2,—

(i) in the first line, for the figures "35", the figures "40" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, in the second line, for the figures "40", the figures "45" shall be substituted.

3. In the said rules, in Part C, in rule 7, in sub rule (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the number of candidates to be called for *viva-voce* in order of the marks obtained in the written examination shall not exceed three times the number of vacancies advertised. However, if the last candidate to be called for interview is bracketed with the candidates exceeding three times by obtaining equal marks then all the bracketed candidates shall be called for interview, in spite of the fact that the number of candidates to be called for interview exceeds three times.

Illustration : Suppose 10 vacancies have been advertised, if 8 candidates say from Serial Number 24 to 31 are bracketed then candidates upto Serial Number 31 will be called for interview.".

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted,

namely :—

"8. (1) No candidates shall be considered to have qualified in the examination unless he obtains atleast 50% marks in the aggregate of all papers including *viva-voce* test.

(2) The merit of the qualified candidates shall be determined by the Haryana Public Service Commission strictly according to the aggregate marks obtained in the written papers and *viva-voce* :

Provided that in the case of two or more candidates obtaining equal marks, the candidates older in age shall be placed higher in the order of merit.".

5. In the said rules, in Part D,—

(i) for rule 1, the following rule shall be substituted, namely :—

"1. The names of candidates selected by Government for appointment as Civil Judges (Junior Division), under rule 10 and 11 of the Part C shall be entered in the High Court Register in the order of selection to the extent of 30% more than the advertised vacancies, so as to meet any contingency for the advertised post remaining unfilled for any reason.";

(ii) rule 8 shall be omitted.

A. N. MATHUR,
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 28 मई, 2003

संख्या सा0 का0 नि0 13/ संवि0/अनु0 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 1963, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा (हरियाणा संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 1963 में, नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"16 **मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभांश.**— सेवा के सदस्य मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभांशों के संबंध में, हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा राज्यार्थ पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II, द्वारा शासित होंगे :

परन्तु इस सेवा में सीधी भर्ती की दशा में, बार में दस वर्ष से अनधिक तक की वकालत की वास्तविक अवधि उनकी अधिवर्षिता पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के लिए अर्हक सेवा में जोड़ दी जाएगी।

व्याख्या टिप्पणी :—संशय को दूर करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सेवा में सीधी भर्ती के सदस्य, जोकि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पहले विधि अधिकारी या जिला न्यायवादी थे, को भी बार में दस वर्ष से अनधिक वर्ष की वास्तविक संख्या तक की गई वकालत को अधिवर्षिता पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ गिनने के लिए अर्हक सेवा में शामिल करने का हकदार होगा ।" ।

ए0 एन0 माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 28th May, 2003

No. G.S.R. 13/Const./Art. 309/2003.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him on this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Superior Judicial Service Rules, 1963, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Superior Judicial Service (Haryana Amendment) Rules, 2003.

2. In the Punjab Superior Judicial Service Rules, 1963, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely :—

"**16 Death-cum-Retirement Benefits :**— In respect of death-cum-retirement benefits, the members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Service Rules, Volume II, as applicable to the State of Haryana, as amended from time to time by the Haryana Government :

Provided that in the case of a direct recruit to this Service, the actual period of practice at bar not exceeding ten years, shall be added to his service qualifying for superannuation pension and other retirement benefits.

Explanatory note :—For removal of doubts, it is hereby clarified that a direct recruit to this Service, who immediately before joining the Service was a Law Officer or District Attorney shall also be entitled to the benefit of actual number of years not exceeding ten years, put in by way of practice at the bar, being counted towards his service qualifying for superannuation pension and other retirement benefits.".

A. N. MATHUR,
Chief Secretary to Government Haryana.

36022—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2003

संख्या सा० का० नि० 16/संवि०/अनु० 234 तथा 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करने तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा.....संशोधन नियम 2003, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करने वाले नियमों में, भाग क में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. कोई व्यक्ति तब तक सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक उसने विधि द्वारा स्थापित तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री प्राप्त न की हो।"।

3. उक्त नियमों में भाग घ में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6. प्रत्येक सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ डिवीजन) कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।"।

ए० एन० माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

81

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 18th July, 2003

No. G.S.R. 16/Const./Art. 234 and 309/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana, after consultation with the Haryana Public Service Commission and the High Court of Punjab and Haryana, hereby makes the following rules further to amend the rules, providing for the appointment of persons as Subordinate Judges in the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed thereto, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Haryana.....Amendment Rules, 2003.

2. In the rules providing for the appointment of persons as Subordinate Judges in the Haryana Civil Service (Judicial Branch) (hereinafter called the said rules), in Part A, for Rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. No person shall be eligible to be appointed a Civil Judge (Junior Division) unless he holds a degree of Bachelor of Laws from a University established by law and approved/recognised by the Bar Council of India.".

3. In the said rules, in Part D, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Every Civil Judge (Junior Division) shall undergo training for a minimum period of one year.".

A. N. MATHUR,
Chief Secretary to Government, Haryana.

36249–L.R.–H.G.P., Chd.

भाग IV

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं)

शुद्धिपत्र

दिनांक 15 सितम्बर, 2003

हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) विधायी परिशिष्ट, भाग III, दिनांक 18 जुलाई, 2003, में प्रकाशित हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवायें), अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 16/संवि० /अनु० 234 तथा 309/2003, दिनांक 18 जुलाई, 2003, के मूल हिन्दी पाठ में, नियम 1 में, "हरियाणा--------- संशोधन" शब्दों के *स्थान पर*, "हरियाणा द्वितीय संशोधन" शब्द *पढ़े जाएं*।

ए० एन० माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES)

CORRIGENDUM

The 15th September, 2003

In the Haryana Government, General Administration Department (General Services), notification No. G.S.R. 16/Const./Art.234 and 309/2003, dated the 18th July, 2003, published in Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 18th July, 2003, in its authorised English translation, in rule 1, *for* "Haryana----------Amendment", *read* "Haryana Second Amendment".

A.N. MATHUR,
Chief Secretary to Government Haryana.

36335—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 29 अक्तूबर, 2003

संख्या सा० का० नि० 25/संवि०/अनु० 234 तथा 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ डिवीजन) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करने तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा तृतीय संशोधन नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में, सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ डिवीजन) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करने वाले नियमों में, भाग क में, नियम 2 में,—तीसरी पंक्ति में "24" अंकों के स्थान पर "21" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

ए० एन० माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

भाग III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 25 नवम्बर, 2003

संख्या सा० का० नि० 30/संवि०/अनु० 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 1963, में नियम 8 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(i) 50 प्रतिशत सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) में से योग्यता एवं ज्येष्ठता तथा उपयुक्तता परीक्षा पास करने के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;

(ii) 25 प्रतिशत सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) जिनकी अर्हक सेवा पांच वर्ष से कम न हो की लिमिटेड विभाग प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(iii) 25 प्रतिशत उच्च न्यायालय द्वारा संचालित की जाने वाली 200 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 50 अंकों की मौखिक परीक्षा को मिलाकर परीक्षा आयोजित करके पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा। "।

ए० एन० माथुर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GENERAL SERVICES)

Notification

The 25th November, 2003

No. G.S.R. 30/Const./Art. 309/2003.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him on this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Superior Judicial Service Rules, 1963, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Superior Judicial service (Haryana Second Amendment) Rules, 2003.

2. In the Punjab Superior Judicial Service Rules, 1963 in rule 8, for sub rule (1) the following sub rule shall be substituted, namely :—

"(1) Recruitment to the Service shall be made :—

(i) 50% by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of merit-cum-Seniority and passing a suitability test ;

(ii) 25% by promotion on the basis of merit through limited department competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than 5 years qualifying service ;

(iii) 25% by direct recruitment from amongst the eligible advocates by holding a test consisting of written examination of 200 marks and *viva voce* test of 50 marks to be conducted by the High Court .".

A. N. MATHUR,
Chief Secretary to Government, Haryana.

PART I

LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 12th March, 2004

No. Leg. 10/2004.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 9th March, 2004, and is hereby published for general information :—

Haryana Act No. 8 of 2004

THE HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION (ADDITIONAL FUNCTIONS) AMENDMENT ACT, 2004

AN

ACT

further to amend the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Act, 1974.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Act, 2004.

Amendment of long title of Haryana Act 21 of 1974.

2. In the long title of the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Act, 1974 (hereinafter called the principal Act), for the words "local bodies' officers", the words "local bodies' officers and other body corporate's officers" shall be substituted.

Amendment of section 2 of Haryana Act 21 of 1974.

3. In section 2 of the principal Act, the existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

'(a) "body corporate" means—

(i) Haryana Electricity Regulatory Commission ;

OR

(ii) Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited,
Haryana Power Generation Corporation Limited,
Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited or
Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited ;

OR

(iii) any other Corporation incorporated under any other law for the time being in force or a Company registered under the

Companies Act, 1956 (1 of 1956) and under the administrative control of the State Government ;'.

Substitution of section 3 of Haryana Act 21 of 1974.

4. For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"3. Additional Functions.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Commission shall recruit such posts carrying an initial pay of eight thousand rupees or above per mensem under a local authority or under a body corporate as the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct :

Provided that it shall not apply to the—

(i) recruitment made for a period not exceeding six months ; and

(ii) recruitment of an Executive Officer of a municipal committee under the Haryana Municipal Act, 1973.".

Repeal and saving.

5. (1) The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Ordinance, 2003 (Haryana Ordinance No. 4 of 2003), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

R. S. MADAN,
Secretary to Government Haryana,
Legislative Department.

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2004

संख्या लैज० 10/2004.—दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एडीशॅनल फन्क्शन्ज) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2004, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 24 अप्रैल, 2004, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2004 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) संशोधन अधिनियम, 2004

हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य)
अधिनियम, 1974, को आगे संशोधित
करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) संशोधन अधिनियम, 2004 कहा जा सकता है।

1974 के हरियाणा अधिनियम 21 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन।

2. हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 1974 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), के दीर्घ शीर्ष में, "स्थानीय निकायों के कतिपय अधिकारियों", शब्दों के स्थान पर, "स्थानीय निकायों तथा अन्य निगमित निकाय के कतिपय अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

1974 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, विद्यमान खण्ड (क), खण्ड (कक) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित खण्ड से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

'(क) "निगमित निकाय" से अभिप्राय है—

(i) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ;

या

(ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ;

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ;

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड या

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ;

या

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निगमित कोई अन्य निगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), के अधीन पंजीकृत तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कोई कम्पनी ; '।

1974 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 3 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"3. अतिरिक्त कृत्य.—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुये भी, आयोग, स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या निगमित निकाय के अधीन प्रतिमास आठ हजार रुपये या अधिक आरम्भिक वेतन वाले ऐसे पदों पर भर्ती करेगा जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे :

परन्तु यह—

(i) छह मास से अनधिक अवधि के लिये भर्ती को ; तथा

(ii) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, के अधीन नगरपालिका समिति के कार्यपालक अधिकारी की भर्ती को,

लागू नहीं होगी। "।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) संशोधन अध्यादेश, 2003 (2003 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

आर० एस० मदान.
सचिव, हरियाणा सरकार,

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मई, 2004

संख्या लैज० 11/2004.—दि पंजाब कोर्टस (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2004, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 24 अप्रैल, 2004, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2004 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2004

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918,
हरियाणा राज्यार्थ को
आगे संशोधित
करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2004, कहा जा सकता है।

1918 के पंजाब अधिनियम 6 की कतिपय धाराओं का संशोधन।

2. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, "सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल)" तथा "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल)" तथा "सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल)" तथा "सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, क्रमशः ;

"सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर पर :—

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीश ;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीश" तथा

"सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर पर :—

(i) सिविल न्यायाधीश ;

(ii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड I" तथा

"सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) मध्यस्थ स्तर पर :—

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों ;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीशों ;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीशों" तथा

"सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) प्रवेश स्तर पर :—

(i) सिविल न्यायाधीशों ;

(ii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीशों, ग्रेड I"

शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

1918 के पंजाब अधिनियम 6 की धारा 18 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम में, धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"18. न्यायालयों की श्रेणियां.—प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887, के अधीन स्थापित लघुवाद न्यायालयों तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त सिविल न्यायालयों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :—

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(2) अपर जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(3) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मण्डल संवर्ग) का न्यायालय मध्यस्थ स्तर पर :—

(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ;

(ii) अपर वरिष्ठ न्यायाधीश ;

(iii) उच्चतर वरिष्ठ न्यायाधीश ; तथा

(4) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मण्डल संवर्ग) का न्यायालय प्रवेश स्तर पर :—

(i) सिविल न्यायाधीश ;

(ii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड II ;

(iii) सिविल न्यायाधीश, ग्रेड I।"।